न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 122/2019

उनवान

1. रामस्वरूप पुत्र किशनलाल जाति खटीक निवासी ग्राम बान्दनवाडा, भिनाय, अजमेर।
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र मादू जाति भांबी नि0 धोलादांता न्यारा, नसीराबाद,
2. मैनेजर आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा टांटोटी, अजमेर।
3. उप पंजीयक, नसीराबाद,
4. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 व 2 अनुपस्थित
3 व 4 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 7. 9. 21

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम न्यारा में स्थित निम्न आराजी वादी की क्रयशुदा है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
1835	2—15—0	2024	0.45
1836	4—17—0	1868	0.01
		1869	0.78
1839	2—7—0	2023	0.38

उपरोक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर तत्कालीन जमाबंदी में रामस्वरूप पुत्र मादू व सजनी पत्नी मादू के नाम दर्ज थे जिनके द्वरा उक्त आराजी में अपना 1/3 हिस्सा वादी को जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 27.06.01 को सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर कर दिया। क्रय दिनांक से आराजी मुतनाजा पर कब्जा वादी का ही च[illegible]की गयी उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण संख्या 313 से वादी [illegible]दारी दर्ज की गयी तथा अमल दरामद भी तत्कालीन जमाबंदी में [illegible] किन्तु दौराने बंदोबस्त राजस्व अधिकारियों ने अपने अधिकारों [illegible] आराजी के हाल खसरा नम्बर 2023/0.38, 2024/0.45, 1869/0.78 [illegible] 1868/0.01 [illegible]टिपूर्ण तरीके से पुनः बेचानकर्ता सजनी व रामस्वरूप के नाम कर दी। विक्रेता सजनी की मृत्यु हो गयी है जिसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 14:01:44 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ही है। राजस्व अभिलेख में उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादी संख्या 1 आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहा है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रकरण में बावजुद मतामीली अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने से तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने प्रकरण में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया।

राज0 पैरोकार ने प्रकरण में कोई साक्ष्य पेश नही की।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रतिवादी संख्या 1 व उसकी माता सजनी ने जरियें पंजीबंद्व विक्रय पत्र दिनांक 27.06.01 को वर्किंग खसरा नम्बर 1835 रकबा 2–15–0, 1836 रकबा 4–17–0, 1839 रकबा 2–7–0 कुल 9–19–0 में 1/3 हिस्सा वादी को बैचान किया था। उक्त विक्रय पत्र पंजीकृत है। विक्रय पत्र की पालना में आराजी मुतनाजा में विक्रेता का हिस्सा जरियें नामान्तकरण संख्या 229 दिनांक 20.7.2001 को वादी के पक्ष में राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया। जिसकी पुष्टि विक्रय पत्र, नामान्तकरण संख्या 229 व वर्किंग जमाबंदी से होती है। विक्रय पत्र में दर्ज साबिक खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर 2023/0.38, 2024/0.45, 1869/0.78 व 1868/0.01 बने है जो बंदोबस्त विभाग द्वारा हाल राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण तरीके से वादी के नाम विक्रय पत्र अनुसार दर्ज करने के बजाय विक्रेता के पिता/पति मादू पुत्र हीरा के नाम दर्ज कर दिये तथा उसके पश्चात गलत तरीके से उक्त आराजी पर मादू का हिस्सा पुनः प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज का लाभ उठाते हुये अपनी अन्य खातेदारी भूमि के साथ विक्रय की गयी आराजी पर भी प्रतिवादी संख्या 2 से ऋण प्राप्त कर लिया जिस कारण आराजी मुतनाजा वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम रहन दर्ज है। तत्कालीन खातेदारों ने आराजी मुतनाजा का विक्रय वादी से प्रतिफल राशि प्राप्त कर किया था। पंजीकृत विक्रय पत्र की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के तहत विक्रेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। प्रतिवादी ने वाद के खण्डन हेतु कोई जवाब अथवा प्रतिदावा पेश नही किया है। साथ ही विक्रय पत्र भी किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 व उसकी माता द्वारा आराजी मुतनाजा का बैचान करने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उक्त आराजी पर ऋण लेने व ऋण देने का कोई विधिक अधिकार नही था। अतः आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है वादी उक्त आराजी पर खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम न्यारा के हाल खसरा नम्बर 1868 रकबा 0.01, 1869 रकबा 0.78, 2023 रकबा 0.38 व 2024 रकबा 0.45 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर खाते[illegible] जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद [illegible]कार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 14:01:44 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिकी व मुकदमें इत्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामस्वरूप बनाम रामस्वरूप

दावा बाबत :— 88, 188 राज. का. अधि0 1955, 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 122 / 2019
पेश करने की दिनांक — 07.10.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)—व हाजिर सीताराम रावत अभिभाषक मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :—

ग्राम न्यारा के हाल खसरा नम्बर 1868 रकबा 0.01, 1869 रकबा 0.78, 2023 रकबा 0.38 व 2024 रकबा 0.45 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 7 माह 09 सन् 2021 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 14:01:44 IST
Reason: SelfAttested